FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ....उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर.... मुकाम ....

....चुन्नी.... बनाम ....मोहनराम [illegible]....

किस्म मुकदमा ....[illegible] आवेदन 111/128.... नं. ....214/2022.... सन् ....2022....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] प्रजापत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/6/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
28/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये / जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12/07/2022 को पेश हो / [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/07/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व म जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह स अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बावत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

हुक्म हुँ. अ. प्र. जारी

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1248 दिनांक : 12/07/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुन्नी देवी पत्नी सुरताराम, जाति जाट, निवासी धतरवालो का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. मोहनराम पुत्र लाभुराम वगैरा 12, जातियान् जाट, निवासीयान् धतरवालो का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 214 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – धतरवालों का नगर, पटवार मण्डल – बायतु भोपजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 596 / 398, 594 / 398 रकबा क्रमशः 2.8719, 4.3686 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 12/07/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1249-53

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति चुन्नी देवी पत्नी सुरताराम,
4. विप्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र लाभुराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु